प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 92/2022

अनवान : –

1. धापा देवी पत्नी राजपाल जाति मेघवाल निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र राजपाल जाति मेघवाल निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
3. विनोद कुमार राजपाल जाति मेघवाल निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती

अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **प्रार्थी**

राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः** 20/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 36/36 की 2.8080 हैक्ट भूमि में एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 101/98 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 102/97 की कुल 8.6020 हैक्ट भूमि में प्रार्थी स0 1, 2 व 3 के संयुक्त खाते में मुश्तरका खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थीगण का नाम सहवन से उक्त खातो के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया स0 1 का धापी देवी, प्रार्थी स0 2 का विजेन्द्र, प्रार्थी स0 3 का विनोद दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम क्रमश धापा देवी, विजेन्द्र सिंह, विनोद कुमार है। यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रहने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता पहचाना पत्र, आधारकार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविग लाईसेंस मूल निवासीएवं सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा तस्दीक प्रमाण प्रमाण आदि में प्रार्थीगण का नाम क्रमशः धापा देवी, विजेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज हुआ है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण अपना नाम संशोधित करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:23:00 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने प्रार्थीगण को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 36/36 की 2.8080 हैक्ट भूमि में एवं रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खाता स0 101/98 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 102/97 की कुल 8.6020 हैक्ट भूमि प्रार्थी स0 1, 2 व 3 के संयुक्त खाते में मुश्तरका खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

जिसमें प्रार्थीगण का नाम क्रमशः धापी देवी, विजेन्द्र, विनोद दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उनका सही नाम क्रमशः धापा देवी, विजेन्द्र सिंह, विनोद कुमार है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का उज्जलवास, भू0अ0नि0 रामगढ़ एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट में भी नाम संशोधन की अभिशंषा की गई है।

प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचाना पत्र, राशन कार्ड, बैंक एवं सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ की तस्दीक आदि में प्रार्थीगण का नाम क्रमश धापा देवी, विजेन्द्र सिंह, विनोद कुमार दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण के नाम के संबंध में ग्राम पंचायत रामगढ़ ने तस्दीक भी पेश की गई है प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़ की तस्दीक के आधार पर प्रार्थीगण का नाम धापी देवी, विजेन्द्र सिंह, विनोद कुमार होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच की तस्दीक तथा तहसीलदार एवं भू0अ0नि0 एव पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा 14 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 36/36 की 2.8080 हैक्ट भूमि में संयुक्त खाता में दर्ज क्रम स0 2 4 व 5 पर अंकित नाम क्रमशः धापी देवी, विजेन्द्र व विनोद के स्थान पर धापा देवी, विजेन्द्र सिंह, विनोद कुमार तथा रोही मौजा चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 101/98 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि के संयुक्त खाते में क्रम स0 7 व 8 पर अंकित नाम विजेन्द्र व विनोद के स्थान पर विजेन्द्र सिह व विनोद कुमार का संशोधन किया जाता है तथा खाता स0 102/97 की कुल 8.6020 हैक्ट भूमि के संयुक्त खाता में दर्ज क्रम स0 4 व 5 पर दर्ज नाम क्रमश विजेन्द्र व विनोद के स्थान पर विजेन्द्र सिह व विनोद कुमार का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। नाम संशोधन के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई तथ्या छुपाया गया है तो प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प : रामगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:23:00 IST
Reason: SelfAttested